# उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड



(उत्तर प्रदेश सरकार का उपकम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या १०९९-विनियम काविनी एवं-२९/पाकालि/२०२१-११-विनियम /८८(टी०सी०) दिनांक- २७ दिसम्बर,२०२१

### कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 21.12.2021 को परिचालन माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुपालन में उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली—1970 (यथा संशोधित) के भाग—04 के प्रस्तर—10 के अर्न्तगत सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में अद्यतन प्रभावी का०ज्ञा०सं० ३९—विनियम एवं काविनी / पाकालि / २०१५—११—विनियम / ८८ (टी०सी०) दिनांक १२.०५.२०१५ में प्राविधानित विनियम, जोकि निम्न तालिका के स्तम्भ-01 में उल्लिखित है, को स्तम्भ-02 के अनुसार एतद्द्वारा संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जाता है :-

	वर्तमान व्यवस्था	नवीन प्रतिस्थापित व्यवस्था
	स्तम्भ-01	स्तम्म-02

A candidate for direct recruitment as 'Assistant Engineer (Trainee)' besides having sufficient knowledge in 'Hindi' in Devnagri Lipi, must hold the following qualifications:-

- (1) Electrical Category -Electrical Engineering or a mixed discipline degree combined with Electrical (युग्म) Engineering.
- (2) Electronics and Telecommunication Category - A degree in Electronics Engineering or Communication Engineering or Telecommunication Engineering or a mixed discipline (युग्म) degree combined with Engineering Electronics either Engineering Communication Telecommunication Engineering.
- (3) Computer Science Category A degree in Computer Science Engineering Information Technology or a mixed discipline (युग्म) degree combined with either Computer Information Engineering Science Technology.

#### Note:-

(1) The UP. Power Corporation Limited at its sole descretion reserves the right to ascertain and decide the number of vacancies to filled up in each category. For recruitment against each such category, saperate requisitions will be sent to Electricity Service Commission.

A candidate for direct recruitment as (Trainee)' Engineer 'Assistant having sufficient knowledge in 'Hindi' in Devnagri Lipi, must hold the following qualifications:-

- (1) Electrical / Power Category A degree in Electrical / Power Engineering or a mixed discipline (यम) degree combined with Electrical Engineering / Power Engineering.
- and Telecommunication Electronics Category - A degree in Electronics Engineering Communication Engineering Telecommunication Engineering or a mixed discipline (युग्म) degree combined with either Electronics Engineering or Communication Engineering or Telecommunication Engineering.
- (3) Computer Science Category A degree in Computer Science Engineering or Information Technology or a mixed discipline (युग्म) degree combined with either Computer Science Engineering or Information Technology.

#### Note:-

(1) The UP. Power Corporation Limited at its sole descretion reserves the right to ascertain and decide the number of vacancies to filled up in each category. For recruitment against each such category, saperate requisitions will be sent to Electricity Service Commission.

कमशः.....02

and Library

- (2) The above degree must be obtained from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956, as a full time regular degree course (OR) passed Section A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India) in relevant discipline as mentioned above.
- (3) Degree / Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible in direct recruitment as well as in promotion.
- (2) The above degree must be obtained from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other Educational Institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956, as a full time regular degree course (OR) passed Section A and B of the Institution Examinations of the Institution of Engineers (India) in relevant discipline as mentioned above.
- (3) Degree / Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible in direct recruitment as well as in promotion.
- उपरोक्तान्सार संशोधनोपरान्त उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता सेवा विनियमावली—1970 (यथा 2. संशोधित) के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती हेतु आवश्यक शैक्षिक योग्यताओं सम्बन्धी निर्गत का०ज्ञा०सं० ३९—विनियम एवं काविनी / पाकालि / २०१५—११—विनियम / ८८ (टी०सी०) दिनांक १२.०५.२०१५ को निरस्त करते हुए विनियमावली को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा, इसके अतिरिक्त विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान पूर्व की भांति यथावत् लाग् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा शे.

## संख्याः १०९९-(।) विनियम/काविनी-२९/पाकालि/२०२१ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसिमशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अपर सचिव (प्रथम) / (द्वितीय) / (तृतीय), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलंडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- संयुक्त सचिव (02), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 10- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशा0) / महाप्रबन्धक (औ०सं०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 11- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा परिचालन माध्यम से लिये गये निर्णय के अनुपालन मे।
- 12- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेत्।
- 13- सम्बन्धित पत्रावली में।

उप सचिव (विनियम

ly &